संख्याः 14/16/32

सूचना प्राप्ति दिनांकः 19/08/2023

पावती समयः 09:15 AM

हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग हेतु

नियम-73 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

विषय हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया व् कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73 के तहत हलके में बाजरे की फसल में सुंडी के आक्रमण से हुए नुक्सान के बारे में

सूचना प्राप्ति दिनांक 19/08/2023

मंत्रीः श्री मनोहर लाल

प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में ....

प्रेषकः

श्रीमती किरण चौधरी(58) , सदस्य

सेवा में

सचिव,

हरियाणा विधान सभा

Delhi-1

महोदय,

भवदीय,

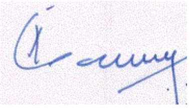

श्रीमती किरण चौधरी(58)

सदस्य

19/08/2023 09:15 AM

निर्वाचन क्षेत्र संख्या व नाम:58

प्राथमिकता क्रम :-

* क्या मुख्यमंत्री मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

महोदय जी

मैं इस सदन का ध्यान दक्षिण हरियाणा विशेषकर भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आदि जिलों में बाजरे की फसल में सुंडी (कैटरपिलर) कीड़े के आक्रमण से हुए भारी नुक्सान के बारे में अवगत करना चाहती हूँ. यह फसल लगभग तैयार होने की कगार पर है लेकिन इस कीड़े के भयंकर आक्रमण से लगभग तीन चौथाई फसल का नुक्सान हो चुका है. एक एक सिरे पर चार से पांच पांच कीड़े लग गए हैं जिससे बाजरे की 40 से 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है. परन्तु सरकार द्वारा अभी तक कोई भी स्पेशल गिरदावरी और आर्थिक नुक्सान की भरपाई की घोषणा नहीं की गई. मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि स्पेशल गिरदावरी कराते हुए नुक्सान की भरपाई के लिए शीघ्र घोषणा करें ताकि किसानों को हुए आर्थिक नुकसान के बोझ से बचाया जा सके.

अत अध्यक्ष महोदय मैं आपसे अनुरोध करती हूँ की इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री सदन के पटल पर उचित मुआवजा देने की घोषणा करें.